पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 1527/अका./२००३ रायपुर,दिनांक 21.8.03

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 21.8.2003 को 5.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति थें-

1	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा,कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा	सदस्य
3	प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
4	डा डी.के.कटारिया	सदस्य
5	डा.युगल भारती	सदस्य
6	डा रामलाल भारद्वाज	सदस्य
7	डा.शैलेन्द्र सराफ	सदस्य
8	डा.श्रीमती स्नेहलता मित्तल	सदस्य.
9	डा श्रीमती गीता तिवारी	सदस्य
10	श्री ए.मिन्ज, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

विषय क्रमांक 1 विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रमाण-पत्रों के शुल्क में वृद्धि करने पर विचार करना ।

निर्णय चूँकि वर्तमान दर 15 वर्ष पूर्व का है अतः कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को संशोधित कर निम्नानुसार पारित किया गया-

क्र.	प्रमाण-पत्र	संशोधित दर (रूपये में)
1	डुप्लीकेट अंकसूची	50/-
2	प्रव्रजन प्रमाण पत्र	100/-
3	अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र	100/-
4	मेरिट सर्टिफिकेट	50/-
5	उपाधि प्रमाण पत्र	200/-
6	डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र	500/-
7	अर्जेण्ट चार्जेस	50/-
8	रजिस्ट्री भेजने की शुल्क	50/-
9	जॉच शुल्क	20/-
10	सुधार शुल्क	30/-

विषय क्रमांक 2 डिप्लोमा इन होलेस्टिक मेडिसीन एण्ड पैरामेडेकल कोर्स के नाम में आंशिक संशोधन कर इसे प्रेक्टीशनर इन माडर्न एण्ड होलेस्टिक मेडेसीन किए जाने की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई ।

विषय क्रमांक 3 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर को अकादमिक स्वायत्ता घोषित किए जाने की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय निर्णय लिया गया कि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर को वर्ष 2003-2004 के बी.ई.प्रथम वर्ष से अकादमिक स्वायत्ता प्रदान की जाती है।

विषय क्रमांक 4 सम्बद्धता निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर स्थायी एवं अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार करना । (सूची संलग्न)

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया के सम्बद्धता निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर एक महाविद्यालयों को छोड़कर शेष महाविद्यालयों को निबंधित पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की सम्बद्धता प्रदान की गई । क्रमांक 18 में दर्शित श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई में प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत नहीं की गई है इसीलिये महाविद्यालय को इस संबंध में पत्र लिखा जाय कि प्राचार्य की नियमित नियुक्ति किये जाने के पश्चात् ही उनके स्थायी सम्बद्धता प्रकरण पर विचार किया जाएगा ।

विषय क्रमांक 5 अध्यादेश क्रमांक 104, जो दूरवर्ती शिक्षा से संबंधित है, में संशोधन प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के लिये प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश 104 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

विषय क्रमांक 6 पं.सुंदर लाल शर्मा ग्रंथालय में इनफ्लिबनेट संचालित करने के लिये क्रय किए गए उपकरणों, फर्नीचर्स की राशि रुपये 07,20,616.00 रुपये सात लाख बीस हजार छःसौ सोलह मात्र के भुगतान की स्वीकृति 15(4) के तहत की गई,के अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई ।

कुलपति की अनुमति से

विषय क्रमांक 7 विश्वविद्यालय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्णय लेना

निर्णय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के संबंध में कार्यपरिषद द्वारा एक समिति गठित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे- 1.डा.युगल भारती, 2.प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ एवं 3. डा बी.पी.साहू ।

विषय क्रमांक 8 विश्वविद्यालय कर्मचारी निधि का गठन किया जाना ।

निर्णय — विश्वविद्यालय कर्मचारी निधि के गठन हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-1.डा.युगल भारती, 2.प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ एवं 3. डा बी.पी.साहू ।

विषय क्रमांक 9 वि.वि.कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर उनके सम्मान किये जाने के संबंध में निर्णय लेना।

निर्णय — निर्णय लिया गया कि प्रकरण यथावत रखा जावे।

विषय क्रमांक10 डा.सुरेश मोहन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना ।

निर्णय — सर्वसम्मति से डा.सुरेश मोहन को उनकी ओपन हार्ट सर्जरी चिकित्सा हेतु प्रतिपूर्ति राशि विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्वीकृत किया गया ।

अंत में, कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की गई ।

कुलपति — कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 1428/अका/2003 — रायपुर, 21.8.2003

प्रतिलिपि

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन, रायपुर ।
3. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन, रायपुर ।
4. डॉ० एस सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
5. डॉ० अमीरचंद जैन, शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव ।
6. डॉ० एम.एल. नायक, आचार्य, बायो-साईन्स अध्ययन शाला पं० र०शु०वि०वि० रायपुर ।
7. डॉ० ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं०र०शु०वि०वि. रायपुर ।
8. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा, रायपुर
9. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग
10. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर ।
11. डॉ० (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर
12. डॉ० युगल भारती, प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर ।
13. डा श्रीमती माया अरोरा, प्राचार्य, शा.महाविद्यालय, दुर्ग ।
14. श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी-४, अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।
15. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर ।
16. डा डी.के.कटारिया, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर ।
17. डा. श्रीमती स्नेहलत्ता मित्तल, शा.पंडित जे.एल.एन चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
18. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
19. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण पं.र.शु.वि.वि. रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव